

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत अजीतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत अजीतगढ

निर्णय दिनांक:- 26.05.2015

1. श्री दुगर सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह उर्फ हिमता जाति रावत निवासी अजीतगढ तहसील भीम
2. श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह उर्फ हिमता जाति रावत निवासी अजीतगढ तहसील भीम
3. श्री छगन सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह उर्फ हिमता जाति रावत निवासी अजीतगढ तहसील भीम

बनाम

1. श्री लादू सिंह पिता खंगार सिंह जाति रावत निवासी अजीतगढ तहसील भीम
2. श्री हिरा सिंह पिता श्री दीप सिंह जाति रावत निवासी अजीतगढ तहसील भीम
3. श्री नाथूसिंह पिता श्री दीप सिंह जाति रावत निवासी अजीतगढ तहसील भीम
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

कैम्प संख्या :- 110/2010 रे.वा.

अन्तर्गत धारा:- 53, 54 आर.टी.ए

उपर्युक्त प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच आज दिनांक 26.05.2015 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प अजीतगढ में सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। मौजा अजीतगढ के आराजियात में से तहसीलदार की प्रारम्भिक डिगरी की पालना प्राप्त हो चुकी है।

1. श्री लादू सिंह पिता खंगार सिंह रावत निवासी अजीतगढ के खाते :-

खतबे नम्बर	रकबा	किस्म
884/1	7 विस्वा 10 विस्वांसी	बंझड


कुल किता 1 रकबा 07 विस्वा 10 विस्वांसी

2. श्री हिरासिंह नाथूसिंह पिता दीपसिंह निवासी अजीतगढ के खाते:-

खतबे नम्बर	रकबा	किस्म
884/1	7 विस्वा 10 विस्वांसी	बंझड

कुल किता 1 रकबा 07 विस्वा 10 विस्वांसी

उपर्युक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार खतबे नम्बर में अमल दरामद करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।


पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द